


132



न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र, ग्वालियर
केम्प, उज्जैन म.प्र.

श्री अखिलेश कुमारी आदि
द्वारा उज्जैन केम्प पर

निग-3714-PB-16

प्र. क्र. /20

प्रस्तुत/

19-10-16

अब्दुल करीम पिता फकीर मोहम्मदजी
निवासी- नीमच सिटी, म.प्र.

—अपीलार्थी/आवेदक

विरुद्ध

- 1- काशीराम पिता खेमाजी
- 2- रामनारायण पिता खेमाजी
- 3- आबुलाल पिता खेमाजी
जाति रावत, निवासी नीमच सिटी म.प्र.
- 4- नूर मोहम्मद पिता अब्दुल गुफर
नि- नीमच सिटी, जिला नीमच —रिस्पॉण्डेंट/अनावेदकगण

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता

बनाराजगी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, नीमच श्रीमान्
साहब के द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2012-13 से पारित
निर्णय दिनांक 31.08.2016 से असंतुष्टी व पीडित होकर

माननीय महोदय,

सेवा में, अपीलान्त/आवेदक की ओर से अपील निम्नानुसार
प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य


अ. यह कि अनावेदकगण ने काशीराम पिसरान खेमाजी रावत
मीणा नीमच ने एक प्रार्थना पत्र, तह. नीमच को नूर मोहम्मद पिता अब्दुल
गुफुर नीमच सिटी म.प्र. के विरुद्ध पेश किया और उसका उच्चावच कि सर्वे
नं. 1703 जो अब्दुल करीम आवेदक का है, अनावेदकगण 1 लगायत 3 है,
दोनों के मध्य का इन नम्बरान तक जाने का रास्ता है, उसका अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3714-पीबीआर/16

जिला - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-11-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	